आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध वाद सं0–04/13–14 राज्य वनाम् मंटू चौधरी वगैरह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
18.07.2017	*आदेश* यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0–04/13–14 राज्य वनाम् मंटू चौधरी वगैरह अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 1748, दिनांक 17.10.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन के स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष, पसराहा द्वारा 07 (सात) गैस सिलिंडर जप्त किया गया था जिस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पसराहा थाना कांड सं0 94/13 दिनांक 10.10.2013 धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जप्त 7 (सात) गैस सिलेन्डर प्रत्येक सिलेन्डर में 14 किलो 200 ग्राम गैस के दर से 07 (सात) गैस सिलेन्डर में कुल 99 किलो 400 ग्राम गैस दीप गंगा गैस ऐजेन्सी जमालपुर गोगरी को जिम्मेनामा पर दिया गया। तथा उक्त जप्त गैस को अधिग्रहण करने की अनुशंसा की गयी। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अवैध रूप ले जा रहे गाड़ी सं0 BR-34/4262 के वाहन चालक लूचो ठाकुर पिता रामस्वरूप ठाकुर, ग्राम+पोस्ट–महद्दीपुर, थाना पसराहा के ब्यान के आधार पर बबलू चौधरी पे0–शालीग्राम चौधरी, साकिन–मड़ैया, थाना–परबत्ता एवं मंटू यादव साकिन–नारायणपुर थाना भवानीपुर ओ0पी0, जिला–भागलपुर से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 ए0 के तहत जप्त गैस को क्यों नहीं अधिग्रहण कर ली जाए, इसके लिए नोटिश जारी कर कारण पृच्छा की मांग की गयी। किन्तु नोटिश तामिला के पश्चात बचाव पक्ष के कोई भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न हीं कारण पृच्छा प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी के तहत गैस से भरे हुए कुल सात (7) जप्त सिलेन्डर को अधिग्रहण करने का आदेश दिनांक 19.11.2013 को पारित किया गया। सूचक भूषण कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को आदेश दिया गया कि जप्त गैस से भरे हुए कुल सात (7) सिलेन्डर जिसे दीप गंगा गैस एजेन्सी जमालपुर गोगरी को जिम्मेनामा पर सुपूर्द किया गया है को उचित कीमत पर उपभोक्ताओं के बीच इंधन (गैस) की बिक्री कर प्राप्त कीमत कोषागार में अनुमंडल नजारत के माध्यम से	

Received for suit 30/8/13

जमा करायी जाए एवं खाली छः सिलेन्डर जो एच0पी0 कम्पनी एवं एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी की है को दीप गंगा गैस एजेन्सी जमालपुर से प्राप्ति रसीद लेकर सुपूर्द किया जाय, क्योंकि यह संबंधित सिलेन्डर कम्पनी की सम्पति है। साथ हीं यह भी आदेश दिया गया कि इस आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को भेजा जाय।

प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित चले जा रहे है। प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। परंतु उनकी लगतार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है तथा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जप्त गैस सिलेन्डर का अधिग्रहण विधि सम्मत है तथा प्रतिवादी द्वारा कुछ नहीं कहना इस बात को प्रमाणित करता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में जप्त 07 (सात) गैस सिलेन्डर अधिग्रहण योग्य है तथा अधिग्रहण हेतु दिनांक 19.11.2013 को पारित आदेश विधि सम्मत तथा सही है। चूँकि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से अधिग्रहित गैस सिलेन्डर का बिक्री कर प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत के माध्यम् से कोषागार में जमा करने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अभीतक अप्राप्त है। अतः आदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखबद्ध करें तथा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित न्यायालय को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0......271........./विधि, दिनांक 29/8/2017 प्रतिलिपिः–अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 29/8/17	